



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

देशीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region,

"केंद्रीय पर्यावरण भवन"

Kendriya Paryavarana Bhavan

लिंक रोड नं०-3, Link Road No. 3

रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)

फोन- 2466525, 2463102, 2465496

अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB 142/2008-BHO/ 93,
प्रति,

प्रधान सचिव(वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

दि०-14-01-2010,
क्रमांक-459/10-3/10
दिनांक-19/02/2010

विषय: जिला गुना वनमण्डल के अन्तर्गत गुना की 1.310 हे० संरक्षित वनभूमि सुआटार स रहपुरा प्रस्तावित मार्ग हेतु म०प्र० ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई को उपयोग पर देने वावत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-एमपीवी 142/2008-वीएचओ/2722 दिनांक 11/11/2008 एवं समसंख्यक पत्रांक 1175 दिनांक 13/5/2009
2. अपर प्रधान मु०व०सं०(भू-प्रबंध) म०प्र० का पत्रांक एफ-5/556/08/10-11/808 दिनांक 15/4/2009 एवं समसंख्यक पत्रांक एवं 2628 दिनांक 26/11/2009

महोदय,
कृपया मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी म०प्र० का पत्रांक एफ-5/556/08/10-11/2221 दिनांक 26/9/2008 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म०प्र० शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 1.310 हे० संरक्षित वनभूमि सुआटार से रहपुरा प्रस्तावित मार्ग हेतु म०प्र० ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई को वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 1.310 हे० गैर वनभूमि (सर्वे क्रमांक 1/2, ग्राम-ओखड़ीखेड़ा, तह०-गुना, जिला-गुना पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा ।
स) इस गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।
3. यदि सड़क पर डामरीकरण करना है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यकतानुसार स्वीकृति लेनी होगी ।
4. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।
5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।